



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224718
CG-DL-E-27012021-224718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]
No. 38]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 47(अ).- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8, और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में :-

(क) नियम 12 के उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6क. अनुसूची VI में बेसल संख्या ख3010 के सामने स्तंभ (2) में उल्लिखित अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित और निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए ‘पश्च-औद्योगिक या पूर्व-उपभोक्ता पॉलिइथीलीन अपशिष्ट’ और ‘पॉलीमिथाइल मीथाक्राइलेट के आयात की अनुमति है।

6ख. 'पश्च-औद्योगिक या पूर्व-उपभोक्ता पॉलिइथीलीन अपशिष्ट' के आयात के लिए, इस अधिसूचना की तारीख से 18 माह के लिए या ऐसे आयात के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए की गई समीक्षा या लेखा परीक्षा, जो भी बाद में हो, के आधार पर कोई निर्णय लिए जाने तक टन-भार के संदर्भ में न्यूनतम पचास प्रतिशत निर्यात की अपेक्षा से, अनुमति होगी।"

(ख) उक्त नियमों की अनुसूची III के भाग ख में बेसल संख्या ख3 और तत्स्थानी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"ख3010	पश्च औद्योगिक या पूर्व-उपभोक्ता पॉलिइथीलीन अपशिष्ट पालीमिथाइल मेथाक्राइलेट";
--------	--

(ग) उक्त नियमों की अनुसूची III के भाग ख में बेसल संख्या ख3030 और ख3035 और तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) उक्त नियमों की अनुसूची III के भाग घ में बेसल संख्या ख3020 और तत्स्थानी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अन्तःस्थापित की जाएंगी :-

"ख3030	<p>टेक्सटाइल अपशिष्ट**</p> <p>निम्नलिखित सामग्रियां, जो टेक्सटाइल अपशिष्ट हों, परंतु वे अन्य अपशिष्टों से मिश्रित न हों और निम्नलिखित विशिष्टियों से तैयार किए गए हों :</p> <ul style="list-style-type: none"> - रेशम अपशिष्ट (रिलिंग, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक के लिए अनुपयुक्त कॉकून सहित) <ul style="list-style-type: none"> • कार्डेड या कॉम्ब्ड नहीं • अन्य - धागा अपशिष्ट सहित किंतु गार्नेटेड स्टॉक को छोड़कर ऊन या पशु के पतले या खुरदरे बाल का अपशिष्ट <ul style="list-style-type: none"> • ऊन या पशु के पतले बाल के नवॉयल • ऊन या पशु के पतले बाल के अन्य अपशिष्ट • पशु के खुरदरे बाल के अपशिष्ट - सूती अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) <ul style="list-style-type: none"> • धागा अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट सहित) • गार्नेटेड स्टॉक • अन्य - पटसन की रस्सी और अपशिष्ट - रस्सी और शुद्ध पटुआ के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) (कनाविस स्टीवा एल.) - रस्सी और जूट और अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर (पटसन, शुद्ध पटुआ और रामी को छोड़कर) के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी और सिसाल तथा जेनस वनकुमारी के अन्य टेक्सटाइल रेशों के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा नारियल के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा अबाका के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) (मनीला पटुआ या मुसा टेक्सटाइल वर्ग) - रस्सी, नवॉयल तथा रैमे और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल रेशों, जिन्हें अन्यत्र कहीं अधिसूचित या सम्मिलित नहीं किया गया है, के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - मानव निर्मित रेशों के अपशिष्ट (नवॉयल, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) <ul style="list-style-type: none"> • सिंथेटिक रेशों के
--------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • कृत्रिम रेशों के - फटे पुराने वस्त्र और अन्य फटे पुराने टेक्सटाइल पदार्थ - प्रयुक्त रैग, स्क्रेप सुतली, कॉर्डेज, रस्सी तथा केबल और सुतली, कॉर्डेज, रस्सी की फटी पुरानी सामग्रियां या टेक्सटाइल सामग्रियों के केबल • छंटनी किए हुए • अन्य
ख3035	अपशिष्ट टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग और कार्पेट***

(ड) उक्त नियमों की अनुसूची VI में बेसल संख्या ख3010 के समक्ष और स्तंभ (2) में "पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(च) उक्त नियमों की अनुसूची VII में क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

5(क)	ख3030	<p>टेक्सटाइल अपशिष्ट निम्नलिखित सामग्रियां, जो टेक्सटाइल अपशिष्ट हों, परंतु वे अन्य अपशिष्टों से मिश्रित न हों और निम्नलिखित विशिष्टियों से तैयार किए गए हों :</p> <ul style="list-style-type: none"> - रेशम अपशिष्ट (रिलिंग, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक के लिए अनुपयुक्त कॉकून सहित) • कार्डेड या कॉम्ब्ड नहीं • अन्य - धागा अपशिष्ट सहित किंतु गार्नेटेड स्टॉक को छोड़कर ऊन या पशु के पतले या खुरदरे बाल का अपशिष्ट • ऊन या पशु के पतले बाल के नवॉयल • ऊन या पशु के पतले बाल के अन्य अपशिष्ट • पशु के खुरदरे बाल के अपशिष्ट - सूती अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) • धागा अपशिष्ट (सूत अपशिष्ट सहित) • गार्नेटेड स्टॉक • अन्य - पटसन की रस्सी और अपशिष्ट - रस्सी और शुद्ध पटुआ के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) (कनाविस स्टीवा एल.) - रस्सी और जूट और अन्य टेक्सटाइल बास्ट फाइबर (पटसन, शुद्ध पटुआ और रामी को छोड़कर) के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी और सिसाल तथा जेनस 	<p>(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6- संचलन दस्तावेज।</p> <p>(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, जहां कहीं प्रयोज्य हो।</p> <p>(ग) निर्यात करने वाले देश के निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-लदाई निरीक्षण प्रमाण पत्र।</p> <p>(घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन कार्य करने के लिए विधि-मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अधीन प्राधिकार। व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है।</p> <p>(ड) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावती प्रति।</p>
------	-------	---	--

		<p>वनकुमारी के अन्य टेक्सटाइल रेशों के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित)</p> <ul style="list-style-type: none"> - रस्सी, नवॉयल तथा नारियल के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - रस्सी, नवॉयल तथा अबाका के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) (मनीला पटुआ या मुसा टेक्सटाइल वर्ग) - रस्सी, नवॉयल तथा रैमे और अन्य वनस्पति टेक्सटाइल रेशों, जिन्हें अन्यत्र कहीं अधिसूचित या सम्मिलित नहीं किया गया है, के अपशिष्ट (धागा अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) - मानव निर्मित रेशों के अपशिष्ट (नवॉयल, धागा अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित) • सिंथेटिक रेशों के • कृत्रिम रेशों के - फटे पुराने वस्त्र और अन्य फटे पुराने टेक्सटाइल पदार्थ - प्रयुक्त रैग, स्क्रेप सुतली, कॉर्डेज, रस्सी तथा केबल और सुतली, कॉर्डेज, रस्सी की फटी पुरानी सामग्रियां या टेक्सटाइल सामग्रियों के केबल • छंटनी किए हुए • अन्य 	
	ख3035	अपशिष्ट टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग और कार्पेट	<p>(क) विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6- संचलन दस्तावेज।</p> <p>(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय से आयात अनुज्ञप्ति, जहां कहीं प्रयोज्य हो।</p> <p>(ग) निर्यात करने वाले देश के निरीक्षण अभिकरण या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एव प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी पूर्व-लदाई निरीक्षण प्रमाण पत्र।</p> <p>(घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन कार्य करने के लिए विधि- मान्य सहमति पत्र और इन नियमों के अधीन प्राधिकार। व्यापारियों के लिए केवल संबंधित राज्य प्रदूषण</p>

			नियंत्रण बोर्ड से एक बार का वैध प्राधिकार अपेक्षित है। (ड) पिछले वित्त वर्ष में आयात के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल की गई वार्षिक विवरणी की पावती प्रति।
--	--	--	--

[फा.सं. 12/29/2020-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 395(अ), तारीख 04 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 670(अ), तारीख 06 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 544(अ), तारीख 11 जून, 2018, सा.का.नि. 178(अ), तारीख 01 मार्च, 2019 और सा.का.नि. 641(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2021

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereafter in this notification referred to as the said rules): -

(a) in rule 12, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“6A. The import of ‘post-industrial or pre-consumer polyethylene wastes’ and ‘Polymethyl Methacrylate’ mentioned at column (2), against Basel Number B3010 in Schedule VI, is permitted to units in Special Economic Zones and Export Oriented Units notified by the Central Government.

6B. the import of ‘post-industrial or pre-consumer polyethylene wastes’ shall be permitted with a requirement of at least fifty percent exports in terms of tonnage for 18 months from the date of this notification or till a decision is taken on the basis of review or audit undertaken to ascertain the effect of such import, whichever is later.”;

(b) in the said rules, in Schedule III, in Part B, after Basel number B3 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“B3010	post-industrial or pre-consumer polyethylene waste Polymethyl Methacrylate”;
--------	--

(c) in the said rules, in Schedule III, in Part B, the Basel Number B3030 and B3035 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) in the said rules, in Schedule III, in Part D, after Basel Number B3020 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“B3030	<p>Textile wastes **</p> <p>The following materials which are textile wastes, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silk wastes (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) <ul style="list-style-type: none"> • not carded or combed • other - Wastes of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock <ul style="list-style-type: none"> • noils of wool or of fine animal hair • other wastes of wool or of fine animal hair • waste of coarse animal hair - Cotton wastes (including yarn waste and garnetted stock) <ul style="list-style-type: none"> • yarn wastes (including thread waste) • garnetted stock • other - Flax tow and wastes - Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of true hemp (<i>Cannabis sativa L.</i>) - Tow and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie) - Tow and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus <i>Agave</i> - Tow, noils and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of coconut - Tow, noils and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of abaca (<i>Manila hemp</i> or <i>Musa textilis Nee</i>) - Tow, noils and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included - Wastes (including noils, yarn wastes and garnetted stock) of manmade fibres <ul style="list-style-type: none"> • of synthetic fibres • of artificial fibres - Worn clothing and other worn textile articles - Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn-out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials <ul style="list-style-type: none"> • sorted • other
B3035	Wastes textile floor coverings and carpets ***;

(e) in the said rules, in Schedule VI, against Basel Number B3010 in column (2), the words “polymethyl methacrylate” shall be omitted;

(f) in the said rules, in Schedule VIII, after serial number 5 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

5 (A)	B3030	<p>Textile wastes</p> <p>The following materials which are textile wastes, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Silk wastes (including cocoons unsuitable for 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Duly filled up Form 6 - Movement document. (b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable. (c) Pre-shipment inspection certificate issued
-------	-------	---	--

		<p>reeling, yarn wastes and garnetted stock)</p> <ul style="list-style-type: none"> • not carded or combed • other <p>- Wastes of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn wastes but excluding garnetted stock</p> <ul style="list-style-type: none"> • noils of wool or of fine animal hair • other wastes of wool or of fine animal hair • waste of coarse animal hair <p>- Cotton wastes (including yarn wastes and garnetted stock)</p> <ul style="list-style-type: none"> • yarn waste (including thread wastes) • garnetted stock • other <p>- Flax tow and wastes</p> <p>- Tow and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of true hemp (<i>Cannabis sativa</i> L.)</p> <p>- Tow and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie)</p> <p>- Tow and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus <i>Agave</i></p> <p>- Tow, noils and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of coconut</p> <p>- Tow, noils and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of abaca (Manila hemp or <i>Musa textilis</i> Nee)</p> <p>- Tow, noils and wastes (including yarn wastes and garnetted stock) of ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included</p> <p>- Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of manmade fibres</p> <ul style="list-style-type: none"> • of synthetic fibres • of artificial fibres <p>- Worn clothing and other worn textile articles</p> <p>- Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn-out articles of twine, cordage, rope or cables of textile materials</p> <ul style="list-style-type: none"> • sorted • other 	<p>by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by Directorate General of Foreign Trade.</p> <p>(d) The valid consents to operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid one-time authorisation from concerned State Pollution Control Board is required.</p> <p>(e) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.</p>
5 (B)	B3035	Waste textile floor coverings and carpets	<p>(a) Duly filled up Form 6 - Movement document.</p> <p>(b) The import license from Directorate General of Foreign Trade, wherever applicable.</p> <p>(c) Pre-shipment inspection certificate issued</p>

			<p>by the inspection agency of the exporting country or the inspection and certification agency approved by the Directorate General of Foreign Trade.</p> <p>(d) The valid consents to operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and authorisation under these rules, for actual users. For traders, only valid one-time authorisation from concerned State Pollution Control Board is required.</p> <p>(e) an acknowledged copy of the annual return filed with concerned State Pollution Control Board for import in the last financial year.</p>
--	--	--	---

[F. No. 12/29/2020 - HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016, number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017, number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018, number G.S.R. 178 (E), dated the 1st March, 2019 and number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020.